भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 49*

06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

'सभी के लिए आवास' मिशन

49. श्री आनंद भदौरियाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश के शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में बेघर लोगों के संबंध में कोई आंकडे मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो 1 सितंबर, 2024 से पीएमएवाई 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन किस आधार पर तैयार किया गया है; और

(घ) वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान शहरी बेघर लोगों के लिए कितने आवास बनाए जाने का लक्ष्य है और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 31 जनवरी, 2025 तक राज्यवार और वर्षवार क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) और (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"सभी के लिए आवास" मिशन के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 49* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं और शहर में रह रहे बेघर लोगों के आकड़ों का रख-रखाव संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को करना होता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) योजना के तहत शहर बेघर लोगों का स्वयं अपना तृतीय पक्ष सर्वेक्षण करते हैं। भारत की जनगणना में दशकीय आधार पर देश में जनसंख्या की गणना की जाती है। भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार, देश के शहरी क्षेत्रों में कुल 9,38,348 लोग बेघर थे।

(ग) और (घ): प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थी किफायती लागत पर आवास का निर्माण, उनकी खरीद तथा उन्हें किराये पर ले सकें।

पीएमएवाई-यू 2.0 एक मांग आधारित योजना है। इसलिए, वर्ष 2024-25 और 2025-2026 के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और उनका निष्पादन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। मांग के आकलन और सत्यापन के बाद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद इन प्रस्तावों को मंत्रालय को भेजा जाता है, ताकि केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकार्य केंद्रीय सहायता की स्वीकृति दी जा सके। इसके अलावा, बेघर लोगों सहित पात्र लाभार्थियों के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन करने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 6 लाख से अधिक आवासों की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय (एसयूएच) घटक को भी सहायता दी, ताकि शहरी बेघर लोगों के लिए जल आपूर्ति, स्वच्छता, सुरक्षा और संरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं सहित स्थायी आश्रयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

****